संख्या-3/2017-167/चौदह-4-2017-503/2008टीसी

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 25 जनवरी: 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- आयोजनागत योजना '' प्रोजेक्ट टाइगर'' के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दुधवा टाइगर रिजर्व, कतरनियाघाट वन्य जीव विहार, अमानगढ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए अवमुक्त/रिवैलिडेटेड केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ रू0 533.66 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या पी-519/36-टी-15(प्रो0टा0), दिनांक 11-11-2016 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्य–60- आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्रोजेक्ट टाइगर योजना के राजस्व लेखा के मानक मद-47 व 51 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 02.10 लाख व रू0 3.20 लाख, प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना के राजस्व लेखा के मानक मद-15, 18, 44, 29 व 42 में हो रही बचतों क्रमश: रू0 2.00 लाख, रू0 1.50 लाख, रू0 1.50 लाख, रू0 22.30 लाख व रू0 3.39 लाख, इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैवीटेट्स योजना के राजस्व लेखा के मानकमद-29 में हो रही बचत रू0 1.61 लाख तथा प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजना के पूंजीलेखा के मानकमद-25 में हो रही बचत रू0 3.06 लाख, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना के पूंजीलेखा के मानकमद-42 में हो रही बचत में से रू0 235.33 लाख तथा उ0प्र0 बैम्बू मिशन योजना के पूंजीलेखा के मानकमद-24 व 42 में हो रही बचत क्रमश: रू0 253.74 लाख व 3.93 लाख अर्थात कुल रू0 533.66 लाख पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-167ए/14-4-2017 दिनांक 25-01-2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 533.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1	2
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्य जीव परिरक्षण-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	

http://sansanec.up.nic.in

0128-प्रोजेक्ट टाइगर-	
02-मजदूरी	3246000
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	75000
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	145000
46-क्म्पयूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	294000
योग:-राजस्व लेखा	3760000
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0101-प्रोजेक्ट टाइगर (सी0सी0एल0 प्रणाली)	
24-वृहत निर्माण कार्य	46855000
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	**2751000**
योग:-पूंजी लेखा	**49606000**
कुल योग:-	**53366000**

(रू0 पॉच करोड तैतीस लाख छाछठ हजार मात्र)

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अंतर्गत नियमावलियों में अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मित्व्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नही किया जाय।

3- भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में अनुमोदित वाहन, उपकरण आदि का क्रय स्टोर परचेज नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा क्रय से पूर्व शासन अथवा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

4- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि का निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

5- भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय भारत सरकार तथा शासन को उपलब्ध कराये जायेंगें तथा भारत सरकार को प्रेषित केन्द्रीय सहायता के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण किया जाय जिससे केन्द्रीय सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- व्यय को मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

7- अवमुक्त धनराशि का समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहें।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-167(1)/ चौदह-4-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल हाल नं0-2, आडिट भवन टी0सी0 35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय ओदश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanades.up.nic.in